

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 752 दिनांक:- 01.7.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के मौजा एदला में 132/33 के0भी0 पावरग्रीड सबस्टेशन निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 1056 दिनांक 24.06.2019

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना FP/JH/Substaion/39788/2019 पावर ग्रिड सब-स्टेशन 132/33 K.V निर्माण हेतु कुल 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

- चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे० में	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा हे० में	कुल रकबा हे० में	वनस्पति घनत्व
1	चतरा दक्षिणी	शून्य	3.44	3.44	0.1

- प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है। अनु०-01
- प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार निम्नवत् है :- अनु०-05

क्र० सं०	Block	District	Mauza	Thana No	Khata No.	Plot No.	Area (He)	Nature of Land
1.	सिमरिया	चतरा	एदला	164	264	2746	3.44	गैर मजरूआ जंगल झाड़ी

- प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है।

अनु०-16

- पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

- 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। अनु०-14

- प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ग्रिड सब-स्टेशन का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है। अनु०-13

- अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है। अनु०-11

- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी के पार्ट-II में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 103 है, जिसमें 11 वृक्षों का पातन होना है। प्रस्ताव के साथ वृक्षों की प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची संलग्न है अनु०-12

10. इस परियोजना में पूर्ण जंगल-झाड़ भूमि उपयोग हेतु उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 909 दिनांक 21.08.2017 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। **अनु0-6**
11. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त, चतरा का पत्रांक 487 दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त है। साथ ही F.R.A से संबंधित ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। **अनु0-7**
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0-09 एवं 10**
13. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के **पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 16.06.2011** के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है। कि **"compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall not be insisted upon"**
14. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
15. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्ति होने पर अलग से भेजा जायेगा।
16. वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी ने अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का violation नहीं किया गया है।
17. प्रस्तावित वन भूमि चतरा जिला में अवस्थित है। भारत सरकार के पत्रांक F.No. 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के तहत यह जिला L.W.E. के रूप में संसूचित है।
18. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जिससे धोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 3.44 हे० जंगल-झाड़ी वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

11.7.18
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Kedn
1.7.18

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

CONSTRUCTION OF 132/33 KV POWER GIRD SUBSTATION 3.44 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 3.44 ha. Forest land.

Date :- 01.07.2019

Place :- Ranchi.

Signature


(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer

Name & Designation

*Principal Chief Conservator of
Forest-cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Jharkhand, Ranchi*

(Official Seal)